

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी- श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर. ए. एस. प्रथम लिंक अधिकारी

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 266 / 2025 / बाड़मेर
अपीलांत रेस्पोंडेंट्स

1. भैरूसिंह पुत्र शंकरसिंह, जाति पुरोहित, निवासी सरवड़ी, तहसील कल्याणपुर, जिला बालोतरा।	1. लखरसिंह पुत्र प्रभुसिंह, जाति पुरोहित
2. सत्यनारायणसिंह पुत्र प्रभुसिंह, जाति पुरोहित, निवासी सरवड़ी, तहसील कल्याणपुर, जिला बालोतरा।	2. देवीसिंह पुत्र प्रभुसिंह, जाति पुरोहित
	3. प्रहलादसिंह पुत्र हेमसिंह
	4. उम्मेदसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह, जाति पुरोहित
	5. खुशालसिंह पुत्र शंकरसिंह, जाति पुरोहित
	6. भवानीसिंह पुत्र शंकरसिंह, जाति पुरोहित
	7. महावीरसिंह पुत्र शंकरसिंह, जाति पुरोहित
	8. गीतादेवी पत्नी शंकरसिंह, जाति पुरोहित
	9. राज. सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार, कल्याणपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 91/2019 बउनवान लखसिंह बनाम प्रहलादसिंह वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2025 के विरुद्ध पेश हुई।

उपस्थिति-

1. वकील श्री नरपतसिंह भाटी अपीलान्त की ओर से।
2. वकील श्री सत्यनारायण पुरोहित रेस्पों. संख्या 3 की ओर से।
3. वकील श्री गजराजसिंह रेस्पों. संख्या 01, 02, 05 से 08 की ओर से।
4. शेष रेस्पोंडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

—:निर्णय:—

दिनांक:-08.04.2026

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पों. संख्या 1 वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांत व रेस्पोंडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी की अपीलाधीन आराजी भूमि मौजा सरवड़ी, तहसील कल्याणपुर के खेत खसरा संख्या 941/578 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 943/578 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा कुल 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि आयी हुई है। तथा मौके पर मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा राजस्व रेकार्ड में अलग-अलग हिस्से खुले हुए हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी को बिना विधिक बंटवारे के ही अजनबी क्रेता को बेचान करने हेतु उतारू है

24
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

भेरूसिंह वगैरह बनाम लखरसिंह वगैरह
अपील संख्या 266/2025

जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काशत को लेकर विवाद रहता है, इसलिए रेस्पोंडेंट/वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा-काशत के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर प्रतिवादी (अपीलांट) को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.06.2025 को जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया रेस्पों. संख्या 1 वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काशतकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटस व रेस्पोंडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी की अपीलाधीन आराजी भूमि मौजा सरवड़ी, तहसील कल्याणपुर के खेत खसरा संख्या 941/578 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 943/578 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा कुल 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि आयी हुई है। तथा मौके पर मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा राजस्व रेकार्ड में अलग-अलग हिस्से खुले हुए हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी को बिना विधिक बंटवारे के ही अजनबी क्रेता को बेचान करने हेतु उतारू है जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काशत को लेकर विवाद रहता है, इसलिए रेस्पोंडेंट/वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा-काशत के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर प्रतिवादी (अपीलांट) को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.06.2025 को जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अवसर प्रदान किये बिना ही वादी की एकतरफा बहस सुनी जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि विरुद्ध पारित किया गया है। अपीलांट को जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करने का अवसर ही प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपीलांट की तामील के बारे में कोई जांच नहीं की। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तामील की प्रक्रिया सीपीसी आदेश 5 नियम 17 से 20 के अनुसार पूरी किये बिना ही जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन को

भेरुसिंह वगैरह बनाम लखरसिंह वगैरह
अपील संख्या 266/2025

विधिवत रूप से अपीलांट से तामील नहीं करवाया गया है तथा अपीलांट के नाम से प्रथम बार ही डाक से नोटिस जारी किये गये हैं जबकि विधिवत रूप से प्रथम बार में जरिये तामील कुनिंदा से सम्मन तामील करवाया जाना आवश्यक है परन्तु हस्तगत प्रकरण में नोटिस अपीलांट से विधिवत तामील ही नहीं हुई है तथा डाक मिलने की ए.डी. भी पत्रावली में मौजूद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 05.09.2023 में वकील वादी को प्रतिवादी संख्या 03 से 10 की तलबी हेतु सम्मन पेश करने हेतु अंतिम अवसर दिया गया है। उक्त दिनांक के बाद वकील वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का सम्मन प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही आदेशिका में सम्मन प्रस्तुत करने का कोई अंकन किया गया है। जिससे यह प्रतीत होता है कि बिना सम्मन प्रेषित किये ही अपीलांट के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। उक्तानुसार विरुद्ध विधि के विपरीत जाकर एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। अपीलाधीन वाद पत्र उद्घोषणा का था जिसमें साक्ष्य ली जानी विधि अनुसार आज्ञापक होता है जिसका हस्तगत प्रकरण में अभाव है। उक्त अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई तथ्यों की जांच किये तथा बिना प्रतिवादी (अपीलांट) को सूचना प्रदान किये विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से परे जाकर विधि विरुद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

साथ ही वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की समस्त आदेशिकाओं के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट है कि वाद कार्यवाही नियमित रूप से संचालित नहीं की गई। तथा प्रतिवादी(अपीलांट) को बिना सूचना प्रदान किये ही आनन-फानन में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्डेड खातेदार अपीलांट के हितों पर भारी कुठाराघात किया है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है तथा एक रेकार्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के खिलाफ है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट जो कि वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया को अनदेखी करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाया जावे।


राजस्व अपील प्राधिकारी
वाडनेर

अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट्स व रेस्पोंडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी की अपीलाधीन आराजी का मौके पर मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा राजस्व रेकार्ड में अलग-अलग हिस्से खुले हुये हैं परन्तु विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए रेस्पोंडेन्ट/वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा-काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बाद भी जबाव दावा प्रस्तुत नहीं करने पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अगर प्रतिवादी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित की गई है तो प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 9 नियम 13 का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की विधिक स्वतंत्रता प्राप्त होते हुए भी हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है जिसका कोई औचित्य नहीं है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय जो पूर्णतया: विधि सम्मत एवं विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुरूप किया गया है। अपीलाधीन निर्णय की वादग्रस्त आराजी पर सभी पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा-काश्तशुदा हैं। रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 01(वादी) को अपनी हक-हिस्से की आराजी को उपजाऊ बनाने एवं अपने कृषि कार्यों के विकास हेतु बैंक संस्थाओं से ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानियों को सामना करना पड़ रहा था। इसलिये सभी पक्षकारों के मध्य अपने-अपने कब्जे-काश्त अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा करने हेतु वाद पेश किया था। जिस अनुसार विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव कब्जा काश्त अनुसार प्राप्त हुआ है। साथ ही हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी के पक्षकारान के मध्य हिस्सों को लेकर कोई विवाद नहीं है। और ना ही हिस्से को लेकर अपीलांट द्वारा कोई प्रश्न हाजा न्यायालय में किया गया है। जिस पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक भूल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की हस्तगत पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट/प्रतिवादीगण को तामील हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। बाद तामील प्रतिवादीगण वकालतन उपस्थिति आये है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः अपीलांट्स की अपील को सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पों. द्वारा अपने उक्त कथनों के समर्थन में न्यायिक निर्णय प्रस्तुत किया गया।


राजस्व अपील प्राधिकारी
वायना


भेरूसिंह वगैरह बनाम लखरसिंह वगैरह
अपील संख्या 266/2025

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलांट हस्तगत प्रकरण वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। अपीलाधीन निर्णय की पालना में विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार, कल्याणपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्रथम बार दिनांक 25.09.2025 को बताया तब जाकर अपीलांट द्वारा नकल ली गई। इसके बाद अपीलांट को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई, जानकारी होते ही अपील श्रीमान जी के समक्ष पेश कर दी। बाद जानकारी यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सदभाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोंडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये और अपीलांट द्वारा न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत नहीं करने के कारण इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार किया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व अपीलांट्स को सूचित किया गया है। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील बावजूद जानकारी अत्यंत विलंब से पेश की है, जिसका कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा हस्तगत अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।


पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के जरिये हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी मौजा सरवड़ी, तहसील कल्याणपुर के खेत खसरा संख्या 941/578 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 943/578 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा कुल 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना में विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bound सिद्धांत के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया है। अपीलांट द्वारा पक्षकारान के मध्य हिस्सों को लेकर कोई विवाद जाहिर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये अपीलांट्स के वादग्रस्त


राजस्व अपील प्राधिकारी
बादनेर


भेरूसिंह वगैरह बनाम लखरसिंह वगैरह
अपील संख्या 266/2025

आराजीयात में दर्ज हक-हिस्से में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट्स द्वारा हक-हिस्से में विवाद बावत किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। जहां तक अपीलांट को सुनवाई का प्रश्न है उसके संबंध में यह स्पष्ट है कि अपीलांट्स/प्रतिवादी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन प्रेषित किये गये। अपीलांट बाद तामील के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया। उक्तानुसार अपीलांट द्वारा किये कथनों पर विश्वास किया जाता है तो फिर प्रकरण का अंतिम निरस्तारण किया जाना संभव ही नहीं है। अपीलांट द्वारा उपस्थित नहीं आने के संबंध में उक्त कथनों का कोई सार नहीं है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होने से हाजा न्यायालय की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपील अपीलांट की सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 91/2019 बउनवान लखसिंह बनाम प्रहलादसिंह वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2025 को यथावत रखा जाता है। तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि संबंधित तहसीलदार स्वयं उभय पक्षकारान को सम्यक रूप से सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए सभी पक्षकारों के मध्य अपने-अपने कब्जे-काश्त अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा करते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।


(ओमप्रकाश विस्तनैर) अधिकारी
प्रथम जिला अधिकारी,
राजस्व अपील प्राधिकारी,
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 08.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर